...ा की ... सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी,राजमहल।
पी0ए0 वाद सं0– 01/2019–20
आवेदक– चरण सोरेन
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– शर्मापुर
आदेश

19.7.19 आवेदक द्वारा दिनांक 03.04.2019 को आवेदन दाखिल कर मौजा शर्मापुर के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, पतना से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी एवं 16 आना रैयतों से अनापत्ति आमंत्रित हेतु को विधिवत नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस तामिला प्राप्त। आवेदक ने आवेदन दाखिल कर कहा है कि मौजा शर्मापुर के बहाल प्रधान स्व0 ईश्वर सोरेन है। जिनकी मृत्यू दिनांक 02.11.2018 को हो गयी है। आवेदक चरण सोरेन पूर्व बहाल प्रधान स्व0 ईश्वर सोरेन मे पुत्र है एवं पूर्व बहाल प्रधान के वंशज से आते है। पूर्व बहाल प्रधान की मृत्यू के पश्चात प्रधानी कार्य में कठिनाई हो रही है। अतएव आवेदक द्वारा मौजा भौराबांध के प्रधान पद पर बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, पतना के पत्रांक 335/रा0, दिनांक 16.07.2019 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अंचल अधिकारी, पतना ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा शर्मापुर के खतियानी रैयत छकू सोरन प्रधान वल्द मंडल सोरेन वो दशमत सोरेन वा लखन सोरेन वो मड़गो सोरेन पे0– छकू सोरेन सा0 देह के नाम से खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत मृत है, जिसकी वंशावली निम्न प्रकार है।

मंडल सोरेन
↓
छकू सोरेन, प्रधान (नावल्द मृत)

छकू सोरेन
↓
दशमत सोरेन (नावल्द मृत) | लखन सोरेन (मृत) | मड़गो सोरेन (नावल्द मृत)

लखन सोरेन
↓
ईश्वर सोरेन, मृत (बहाल प्रधान) → चरण सोरेन (आवेदक)
प्रधान सोरेन, मृत → चरण सोरेन (जी0)
राय सोरेन, मृत पत्नी धानी मरांडी (जी0)

उक्त वंशावली से स्पष्ट है कि आवेदक पूर्व प्रधान के पुत्र है एंव वंशानुक्रम से

Scanned with CamScanner

आते है। पूर्व बहाल प्रधान ईश्वर सोरेन की मृत्यू दिनांक 02.11.2018 को हो चुकी है, जिसका पी०ए० केस नं०– 04/1999–2000 है। आवेदक मूल प्रधान खतियानी रैयत छकू सोरेन के परपोता है एवं प्रधानी वंशज के अंतर्गत आते है। इस संबंध में ग्राम शर्मापुर में दिनांक 15.07.2019 को ग्राम सभा कर आयोजन किया गया, जिसमें सर्व सम्मति से आदेश पारित कर आवेदक चरण सोरेन, पिता– स्व० ईश्वर सोरेन को ग्रमीणों की ओर से कार्यवाहक प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। मौजा के 16 आना रैयतों को आवेदक के प्रधानी पद पर नियुक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। अंचल अधिकारी, पतना द्वारा आवेदक चरण सोरेन को प्रधान बहाल करने की अनुशंसा किये है।

अतएव अंचल अधिकारी, पतना के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों की अनापत्ति के अभाव तथा ग्रामीणों के सहमति से आवेदक चरण सोरेन को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पतना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

ज्ञापांक 305/रा०
रा० दि० 23.7.19

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

अभिलेख आज उपस्थापित। नव नियुक्त प्रधान के द्वारा कबुलियत दाखिल किया गया है। पट्टा निर्गत करें।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

चरण सोरेन

Scanned with CamScanner